कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः– टीसीबी / 2017 / 81 दिनांकः– 03/06/2017

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 02 जून 2017 को प्रातः 11.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आर.ए.एस आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवम् अध्यक्ष जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षत में प्राधिकरण स्थित कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 24 अप्रेल 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड की बैठक दिनांक 24 अप्रैल 2017 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनात्मक प्रस्तुत हुआ। बैठक कार्यवाही विवरण की बिन्दुवार बैठक समीक्षा की गई। **गत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 2.1** जिसमें लोक परिवहन सेवा की वाहनों के सुगम संचालन हेतु बस अडडा / ठहराव हेतु भदवासिया, प्रताप नगर, कालवी प्याऊ एवम् दल्ले खां चक्की का प्रस्ताव अनुमोदन किया था। पुलिस आयुक्तालय द्वारा आवश्यक अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया था। इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवम् यातायात द्वारा दिनांक 16 मार्च 2017 को जो अधिसूचना जारी की है, वो इस पारित प्रस्ताव के अनुरूप नही है। अतः बैठक में निर्देश दिये गये कि अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर अधिसूचना पूनः जारी करने का निर्णय लिया गया है।

प्रस्ताव संख्या 2. :: भारी वाहनों का प्रवेश हेतु 'नो एन्ट्री' प्लान बाबत् –

1. वर्तमान में शहर में नो–एन्ट्री क्षेत्र के अतिरिक्त बालसमन्द रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश हर समय रहाता हे । इसी तरह माता का थान से कृषि मण्डी तक भारी वाहनों का आवागमन रहता है । इस रोड पर कई आवासीय कॉलोनियों आई हुई है, परन्तु भारी वाहनों का प्रवेश निषेध किया जाना सम्भाव नहीं है, क्योंकि कृषि मण्डी में आने वाले वाहनों को रोकना उचित नहीं है । यहां पर आने वाले भारी वाहनों को दिन में 1:00 पीएम से 05:00 पीएम तक एन्ट्री दी जा सकती है । अतः निर्णय लिया गया कि भारी वाहनों का प्रवेश रात 10:00 बजे से सुबह 07:00 बजे एन्ट्री दी जाने का निर्णय लिया गया है

2. मण्डोर थान से चैनपुरा होते हुए गोकुलजी की प्याऊ, रामसागर, माता का थान की तरफ चोर–छिपे आने वाले ट्रक व भारी वाहनों का प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रवेश निषेध किया जाना उचित रहेगा ।

3. मण्डोर रोड व बनाड रोड से शहर के भीतर सुबह 7:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बसों के लिए भी नो–एन्ट्री क्षेत्र की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में वीडियो कोच व अन्य यात्री बसे किशोर बाग, महामन्दिर, पावटा व सर्किट हाउस, भाटी चौराहा आदि क्षेत्र तक जाती है । अतः निर्णय लिया गया कि वीडियो कोच व अन्य यात्री बसे किशोर बाग, महामन्दिर, पावटा व सर्किट हाउस, भाटी चौराहा आदि क्षेत्र तक रात 10:00 बजे से सुबह 7:00 बजे एन्ट्री दी जाने का निर्णय लिया गया है ।

4. मोजूदा समय एवं आने वाले समय में एन.एल.यू., राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान. व अन्य महत्वपूर्ण संस्थान नागौर रोड पर संचालित होने पर बढतेयातायात को दृष्टिगत रखते हुए मण्डोर नाका, बाल समन्द रॉयल्टी नाका से आगे भी वाहन प्रवेश नही कर सुरपुरा, आगणवा, माता का थान होकर प्रवेश कर कृषि मण्डी तक पहुंचने का समय निर्धारित किया जाना उचित होने का प्रस्ताव पारित किया गया है । जिसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के डी.टी.ओ. को निर्देश दिये गये है ।

5. वर्तमान में शहर नो–एन्ट्री क्षेत्र के अतिरिक्त अमृतादेवी पार्क से दाऊ की होटल होते हुए डीजल शेड रोड से कन्टेनर डिपो तक भारी वाहनों का प्रवेश हर समय रहता हे । इसी तरह दाऊजी की होटल से एम्स रोड होते हुए नहर रोड चौपासनी हाउसिग बोर्ड तक भारी वाहनों का आवागमन रहता है ।

इसी रोड पर बासनी औद्योगिक क्षेत्र में जाने व कन्टेनर डिपो तक आने–जाने के लिए 10 गलियां लिकलती है, जिसके कारण आद्योगिक क्षेत्र में जाने व कन्टेनर डिपो तक आने–जाने के लिए भारी वाहनो का प्रवेश निषेध किया जाना सम्भव नही है, क्योकि इन दोनो क्षेत्रो में राजकीय वाहनो का प्रवेश निषेघ किया जाना सम्भाव

2

नहीं है, क्योकि इन दोनो क्षेत्रो में राजकीय उपक्रम भी संचालित हो रहे है । उक्त क्षेत्रो मे निर्धारित समयावधि में भारी वाहनो को प्रवेश दिया जावें तो यातायात की दृष्टि से काफी सुविधा व राहत प्राप्त होगी । इसके लिए प्रातः 07:00 एएम से रात्रि 10:00 पीएम तक भारी वाहनो का प्रवेश निषेध किया जाये तथा दिन में 01:00 पीएम से 05:00 पीएम तक एन्ट्री दी जाने का निर्णय लिया गया ।

6. डी.पी.एस. चौराहा से शास्त्रीनगर तक डाली बाई का मन्दिर चौराहा से अण्दाराम स्कूल तक काजरी रोड पर तथा एम्स रोड से चौपासनी हाउसिंग बोर्ड नहर रोड तक ट्रक व भारी वाहनो का प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रवेश निषेध किया जाने का निर्णय लिया गया ।

7. आखलिया चौराहा से शहर के भीतर सुबह 07:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बसों के लिए भी नो–एन्ट्री क्षेत्र होनो चाहिए, जबकि वर्तमान में वीडियो कोच व अन्य यात्री बसे 12वी रोड होते हुए दल्ले खॉ की चकी तक जाती है । अतः उक्त प्रस्ताव में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि आखलिया चौराहा से शहर के भीतर सुबह 07:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बसो के लिए नो–एन्ट्री किये जाने का निर्णय लिया गया ।

8. रॉयल्टी नाका प्रताप नगर नो–एन्ट्री क्षेत्र में स्थित होने के कारण रात्रि 10:00 बजे से पूर्व भी भारी वाहन रायल्टी नाका पर आ जाते है । उक्त रायल्टी नाका को नो–एन्ट्री क्षेत्र से बाहर फिदूसर चौपड से बडली रोडपर या फिदूसर चौपड पर ही नाका से पीछे की तरफ स्थानान्तररित किया जाना उचित रहेगा । अतः उक्त प्रस्ताव में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि माईनिंग डिपार्टमेन्ट के खनिज अभियन्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आगामी बैठक में प्ररताव को रखने का निर्णय लिया गया ।

9. मौजूदा समय एवं आने वाले समय में एम्स हॉस्पीटल तथा औद्योगिक क्षेत्र बासनी एव माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के नये भवन में शिफ्ट होने पर बढते यातायात को दृष्टिगत रखते हुए झालामण्ड से अमृतादेवी पार्क, दाऊजी की होटल की और भारी वाहन प्रवेश नहीं कर बाईपास से सांगरिया फांटा होकर प्रवेश करे ओद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों से वार्ता कर तथा श्रीमान जिला कलेक्टर से बासनी से ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने की वार्ता की जाने का निर्णय लिया गया ।

10. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात, जोधपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 2233 दिनांक 01.06. 2017 द्वारा बैठक में रखने योग्य प्रकरण क्रमबद्ध किये है जिसके क्रम में निम्नानुसार निर्णय लिये गये है ।

(अ) बिन्दु संख्या 1, 7, 8, 9, 10, 12 के क्रम में सम्बन्धित विभागों को उनके स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये है ।

(ब) बिन्दु संख्या 2 विकास कार्य से सम्बन्धित होने से समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं है ।

(स) बिन्दु संख्या 3 से 6 के सम्बन्ध में बैठक मे उपस्थित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात को निर्देशित किया गया कि वे स्पष्ट प्रस्ताव तैयार करवाकर समिति के समक्ष प्रस्तुत करावें ।

(द) बिन्दु संख्या 11 के सम्बन्ध में जोधपुर शहर में उपलब्ध कटो को बन्द करने, चालू करने एवं स्पीड ब्रेकर प्रस्तावित करने के लिए निम्नांकित अधिकारीयों की समिति बनाने का निर्णय लिया गया जो जांच कर आगामी बैठक में मय अनुशंषा प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी ।

- सहायक पुलिस उपायुक्त (मनोनीत द्वारा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय)
- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर
- अधिशाषी अभियन्ता नगर निगन जोधपुर
- अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- परिवहन निरीक्षक (मनोनीत द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी)

(य) बिन्दु संख्या 14 के क्रम में अवगत कराया गया कि पुलिस विभाग को मोटर साईकिल उपलब्ध कराये जाना प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति अनुकूल न होने के कारण सम्भव नहीं है ।

(र) बिन्दु संख्या 16 के क्रम अवगत कराया गया कि नई निविदा क्रेन उपलब्ध करवाने हेतु स्वीकृत हुई है उसमें संवेदक को वर्ष 2013 से पूर्व का मॉडल नही लगाने के निर्देश दिये गये है।

प्रस्ताव संख्या 3 :: **यातायात केबिन (सहायता बूथ) लगवाने बाबत्** –

यातायात व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों की सुविधा हेतु 03 चौराहो पर यातायात केबिन (सहायता बूथ) लगवाने का प्रस्ताव रखा गया । अतः उक्त प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि यातायात केबिन लगवाने के लिए ऐसे कौन–कौन से 03 चौराहे है जिन पर यातायात केबिन लगाने है कि सूची बनाकर उपायुक्त पुलिस यातायात प्रस्तुत करें ।

प्रस्ताव संख्या 4 :: **पार्किंग स्थल निरस्त करवाने के सम्बन्ध में –**

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर के पत्रानुसार जालोरी गेट पुलिस चौकी के पीछे भाटी साफ्टी एण्ड साफ्टी के पास जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 40 गुणा 30 के घोषित पार्किंग स्थल को निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि भाटी सॉफ्टी एण्ड सॉफ्टी के पास अधिक वाहन खडे रहने से यातायात में व्यावधान उत्पन्न होने के कारण प्राधिकरण जोधपुर द्वारा 40 गुणा 30 घोषित पार्किंग स्थल को निरस्त करने का सर्वसमिति से निर्णय लिय गया ।

प्रस्ताव संख्या 5 :: **बजट आवंटन के सम्बन्ध में –**

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर के पत्रांक 768 दिनांक 28.04.2017 के अनुसार शहर में यातायात व्यवस्था सुधार हेतु मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशानुसार कुल 5,09,400/– विभिन्न कार्य करवायें जा कर फर्म M/S ELECTRO SOULTION & AUTOMATION, 214 VIVEK VIHAR JAGATPURA, JAIPUR को भुगतान किया जाना था जिसमें 99,000/– की राशि का कम भुगतान किया गया । जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा पत्र प्राधिकरण जोधपुर में प्रस्तुत किया गया ।

अतः सर्वसमिति से निर्णय लिया गया कि पूर्ण प्रकरण तैयार करने का अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात को निर्देशित किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 6 :: **ऑटोरिक्शा/ऑटो तांगा के स्कोप में वृद्धिकरण बाबत् –**

ऑटोरिक्शा/ऑटो तांगा के स्कोप में वृद्धिकरण के लिए निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव आगामी मिटिंग मे मय विवरण पेश करने के निर्देश क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जोधपुर को दिये गये है ।

प्रस्ताव संख्या 7 :: डी.बी. सिविल रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 13584/2015, सुशील कुमार ओझा बनाम राज्य व अन्य में माननीय खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2017 की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा 30 बसों के पार्किंग हेतु निम्नांकित स्थलों का चिन्हीकरण किया गया ।

क्र. सं.	योजना का नाम	खसरा नं.	योजना	भूमि किस्म	मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग	क्षैत्रफल
01.	पश्चिम जोन जेसलमेर रोड	717	राजस्व ग्राम चौखा	बारानी	आवासीय	4000 वर्गगज
02	पश्चिम जोन बाडमेर रोड	717	राजस्व ग्राम चौखा	बारानी	आवासीय	4000 वर्गगज
03.	उतर जोन बीकानेर रोड, नागौर रोड	55	राजस्व देसूरिया विश्नोई	गैर मुमकिन गोचर	भण्डारण एवं गोदाम	4000 वर्गगज
04	दक्षिण जोन पाली रोड		विवेक विहार			4000 वर्गगज

बैठक में विशेष रूप से आयोजित सदस्यो श्री गोपाल सिंह रूदिया, श्री राजेन्द्र चौधरी, श्री मनीष जैन व जगदेव सिंह एवं सदस्यों ने भी उक्त चयन पर सन्तोष जाहिर किया । लिहाजा निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार बस स्टैण्ड पार्किंग के लिए उपरोक्त चिन्हीकृत स्थलों की सूची माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायें ।

प्रस्ताव संख्या 8 :: बैठक में नगरीय परिवहन सेवा के मार्ग 16 में कटौती एवं डाईवर्जन के प्रस्ताव पर चर्चा की गई जिस पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जोधपुर के प्रतिनिधि जिला परिवहन अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रस्ताव का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में पेश किया जायेगा जिसे सर्वसमिति से स्वीकार किया गया है ।

अरूण पुरोहित
(RAS)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांकः— टीसीबी / 2017 / 82 — 112 दिनांकः— 03/06/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर
02. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर
03. अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
04. जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
05. पुलिस उपायुक्त—पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय एवं यातायात / पुलिस अधीक्षण—ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
07. सचिव महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जोधपुर
09. महाप्रबन्धक (प्रचालन) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
10. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
11. अपर मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
12. अपर मुख्य अभियन्ता,जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
14. कमाण्डर 45 सीमा सडक कृतिक बल, जालम विलास, जोधपुर
15. निदेशक—अभियांत्रिकी / आयोजना / वित / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. उपायुक्त—पूर्व / पश्चिम / उतर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. अधीक्षण अभियन्ता—प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को कार्यावाही विवरण का अंकन वेब—साईट पर करने तथा संबधित अधिकारियों को जरिये ई—मेल प्रेषित करने हेतु प्रेषित है ।
20. ....

अरूण पुरोहित
(RAS)
सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

दिनांक 02 जून, 2017 को प्रातः 11:00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा आर.ए.एस. आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में जोधपुर यातायात नियंत्रया बोर्ड की बैठक आयोजित हुई बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों की उपस्थिति निम्न प्रंकार है –

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम व विभाग
1.	श्री गणपत पंवार, जिला परिवहन अधिकरी, जोधपुर
2.	श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर
3.	श्री अनवर अली खान, उपायुक्त (पश्चिम) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4.	श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त (पूर्व) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5.	श्री दलवीर सिंह ढढ्ढा, उपायुक्त (उतर) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री निसार खॉ, उपायुक्त, नगर निगम जोधपुर
7.	श्री अतुल बल रतनु, निर्देशक वित, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री डी. के. मीणा, निर्देशक अभियांत्रिकी जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री बुगलाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस जोधपुर
10.	एम. एल. मीणा, अधीक्षण अभियन्ता, पी.डब्ल्यू.डी. जोधपुर
11.	श्री एम. एस. चारण, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विधुत वितरण, निगम लिमिटेड जोधपुर
12.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल अधिशाषी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
13.	श्री मूलाराम चोधरी, सी.आई., जोधपुर पुलिस ग्रामीण जोधपुर
14.	श्री देवेन्द्र गहलोत, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15.	श्री गोपाल सिंह रूदिया, ट्रान्सपोर्ट प्रबन्धक जोधपुर
16.	श्री राजेन्द्र चौधरी, ट्रान्सपोर्ट प्रबन्धक जोधपुर
17.	श्री मनीष जैन, ट्रान्सपोर्ट प्रबन्धक जोधपुर
18.	श्री जगदेव सिंह, ट्रान्सपोर्ट प्रबन्धक जोधपुर